न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3151–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–12 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत बिलौआ–पिछोर तहसील डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 51/11–12/अ–12.

अशोक सिंह पुत्र रामप्रसाद यादव
निवासी दर्पण कॉलौनी ठाटीपुर ग्वालियर
कृषक ग्राम रफादपुरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– गंगाराम चौरसिया पुत्र नामालूम
निवासी जनकपुर कालौनी
लश्कर, ग्वालियर

2– मु0 राधारानी बेवा मोतीलाल चौरसिया
निवासी बिलौआ
तहसील डबरा जिला ग्वालियर

3– म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 जनवरी, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत बिलौआ–पिछोर तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 28–8–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अशोक सिंह द्वारा संहिता की धारा 129 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत बिलौआ–पिछोर तहसील डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रफादपुरा स्थित भूमि जिसका पुराना सर्वे कमांक 56/2 एवं नया नम्बर 132 एवं 133 है, में से 4 हेक्टेयर भूमि का पट्टा काला पत्थर उत्खनन हेतु आवेदक को स्वीकृत किया गया है । आवेदक

अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसलिए उक्त भूमि का सीमांकन किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 51/11–12/अ–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त रिपोर्ट पर अनावेदिका कमांक 2 मु0 राधारानी बेवा मोतीलाल चौरसिया द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि इसी ग्राम की भूमि सर्वे कमांक 37/7/3 रकबा 2.717 हेक्टेयर की वह भूमिस्वामी है, जो कि ग्राम बिलौआ और ग्राम रफादपुरा की सीमा पर स्थित है । विवादित भूमि अनावेदक कमांक 2 की भूमि से लगी हुई है, और उसके द्वारा दिनांक 18–1–12 को अधीक्षक, भू–अभिलेख, ग्वालियर द्वारा गठित सीमांकन दल से अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए सीमांकन को नजरअंदाज करते हुए बिना हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये सीमांकन किया गया है, जिससे मौके पर तनाव उत्पन्न हो गया है, और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए सीमांकन निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–8–12 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त करते हुए राजस्व निरीक्षक, बिलौआ को निर्देशित किया गया कि पुनः अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा गठित सीमांकन दल के सहयोग से इस विवादित स्थल के सीमांकन का निराकरण करें तथा पुलिस सहयोग प्राप्त करें। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन के समय आपत्तिकर्ता अनावेदिका कमांक 2 उपस्थित थी, परन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस आधार पर कहा गया कि आपत्तिकर्ता की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आपत्तिकर्ता की भूमि एवं आवेदक की भूमि पृथक–पृथक ग्रामों में हैं, अतः आपत्तिकर्ता को आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसे निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है,